



# अपर उपायुक्त का न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

कोल्हान एक्सक्यूशन वाद संख्या- 11/1990

बैंक ऑफ इंडिया।

वनाम

वशीर अहमद एवं अन्य।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख
	<p style="text-align: center;"><b>आदेश</b></p> <p>यह जारी वाद दिनांक- 08.07.1990 को Bank of India, a body corporate constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act V of 1970. having its Head Office at Express Towers, Nariman Point, Bombay-499921 and a Branch Office amongst other places at Manjgaon, Bank of India, Manjgaon, Branch- Manjsson, P.S.- and P.O.- Manjgaon, Pargana- Kolhen, District- Singhbhum West द्वारा देनदार 1. Bashir Ahamad, S/o- Father's name not known to the plaintiff, Resident of Village- Majhgaon, P.O.- Majhgaon, P.S.- Manjgaon, District- Singhbhum West, 2. Jagabandhu Moharana, S/o- Father's name not known to the plaintiff, Resident of Village- Nayagaon, P.O.- Nayagaon, P.S.- Manjgaon, Pargana- Kolhen, District- Singhbhum West, 3. Mr. Jahandal Hisanin, S/o- Abdul Sattar, Resident of Village- Manjgaon, P.O.- Manjanon, District- Singhbhum West को दिये गये ऋण के विरुद्ध यह वाद दायर किया गया है। इस वाद में लम्बे समय से उभय पक्ष की ओर से पैरवी नहीं करने के कारण अंचल अधिकारी, मझगाँव को नोटिस तामिला हेतु भेजा गया। दिनांक- 22.11.2021 को प्रथम पक्ष की ओर से अंतिम हाजरी दी गई। लेकिन सुनवाई के समय पुकार पर वादी के अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि 11.12.2021, 18.12.2021 एवं 19.01.2022 को भी दोनों पक्षों की ओर से अपना पक्ष नहीं रखा गया। इससे प्रतीत होता है कि उभय पक्षों को इस वाद में कोई अभिरुची नहीं है।</p> <p>अतः उपरोक्त परिस्थिति के आलोक में इस वाद को खारीज करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <p> अपर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।</p> <p> अपर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा</p>	